

एलएसी के पास हवाई क्षेत्र का उल्लंघन

प्रलिस के लयि:

कॉन्फडेंस बलिडगि मेजरस, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, 1994 शकिगो कन्वेंशन, LAC, ईस्टर्न लद्दाख, हवाई संप्रभुता, 1994 शकिगो कन्वेंशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल

मेन्स के लयि:

हवाई क्षेत्र उल्लंघन और संबंघति कानून, भारत चीन संघर्ष ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और चीन के बीच पूरवी लद्दाख के चुशुल-मोल्दो सीमा में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर वशिष दौर की सैन्य वारता हुई ।

- यह वारता चीनी लड़ाकों द्वारा "उत्तेजक व्यवहार" की पृष्ठभूमि के खलिाफ आयोजति की गई थी, जो अक्सर LAC के करीब उड़ान भरते हुए 10-कर्मि नो-फ्लाई ज़ोन कॉन्फडेंस बलिडगि मेजर (CBM) का उल्लंघन करते थे ।

ऐसी घटनाओं के कारण:

- LAC पूरि तरह से सीमांकति नहीं है और संरेखण पर दोनों देशों में मतभेद हैं जसि के कारण ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं ।
- एलएसी पर शांत बिनाए रखने के लयि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर नयिमति रूप से बातचीत करते हैं ।
- मई 2020 में पूरवी लद्दाख में गतसिध शुरु होने के बाद से दोनों पक्षों ने LAC पर वायु सेना को तैनात कयि है तथा अपने-अपने ठकानों की सुरक्षा को भी बढ़ाया है ।

भारत-चीन के बीच हालयिा वविाद:

- जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प - यह लाठी और डंडों से लड़ी गई न कबिंदूकों से, वर्ष 1975 के बाद से दोनों पक्षों के बीच पहला घातक टकराव था ।
 - हालयिा संघर्ष जनवरी 2021 में हुआ था, जसिमें दोनों पक्षों के सैनिकि घायल हो गए थे । यह भारत के सक्किमि राज्य में सीमा पर हुआ जो भूटान और नेपाल के बीच स्थति है ।
- हाल ही में चीनीयों ने भारतीय वायुसेना द्वारा तबिबत क्षेत्र में उनके द्वारा नयित्तरति क्षेत्र के भीतर संचालति चीनी वायु सेना के वमिनों का पता लगाने के लयि अपनी क्षमता को उन्नत करने के बारे में शकियत की है ।
- दोनों ने स्थति और तनाव को कम करने के लयि कोर कमांडर-स्तरिय वारता के 16 दौर आयोजति कयि हैं, जो चीन द्वारा वर्ष 2020 में LAC पर यथास्थति को बदलने की कोशशिों के बाद शुरु हुआ था ।

वास्तवकि नयित्तरण रेखा (LAC):

- परचिय:** वास्तवकि नयित्तरण रेखा (LAC) एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, जो भारत-नयित्तरति क्षेत्र और चीन-नयित्तरति क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है ।
 - LAC, पाकसितान के साथ लगी नयित्तरण रेखा (LoC) से भनि है:**
 - दोनों देशों के बीच शमिला समझौते के बाद वर्ष 1972 में LoC को नामति कर इसे मानचतिर पर दर्शाया गया है ।
 - लेकनि LAC पर दोनों देशों (भारत-चीन) द्वारा सहमतनिहीं बन पाई है, न ही इसे मानचतिर पर दर्शाया गया है और न ही इसे भौगोलकि रूप से सीमांकति कयि गया है ।
- LAC की लंबाई:** भारत LAC की लंबाई 3,488 कर्मि मानता है; जबकि चीन इसे केवल 2,000 कर्मि के आसपास मानता है ।
- LAC का वभिाजन:**

- **इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:** पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से सक्किमि (1346 कमी), मध्य क्षेत्र उत्तराखंड से हमिाचल प्रदेश (545 कमी) और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख (1597 कमी) तक फैला है।
 - पूर्वी सेक्टर में LAC का संरेखण वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के समरूप है।
 - यह वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तबिबत के बीच शमिला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी।
- LAC का मध्य क्षेत्र सबसे कम विवादित, जबकि पश्चिमी क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य सबसे अधिक विवादित है।

वायु-क्षेत्र पर भारत-चीन के मध्य समझौता:

- भारत और चीन के बीच मौजूदा समझौतों के अनुसार, लड़ाकू विमानों और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों का संचालन LAC से कुछ दूरी तक ही सीमित है।
- वर्ष 1996 के 'भारत-चीन सीमा क्षेत्र में LAC के साथ शांति और सद्भाव के रखरखाव पर समझौते' के अनुसार, "लड़ाकू विमान (लड़ाकू, बमवर्षक, टोही, सैन्य प्रशिक्षक, सशस्त्र हेलीकॉप्टर और अन्य सशस्त्र विमान) LAC के 10 कमी के क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेंगे।
- वर्ष 1993 और 2012 के बीच दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिये भारत और चीन द्वारा विश्वास नरिमाण उपायों (CBM) के समझौते पर सहमति व्यक्त की गई थी।

विश्वास नरिमाण के उपाय (CMB):

- आमने-सामने की स्थिति में कोई भी पक्ष **बल का प्रयोग नहीं करेगा और न ही बल प्रयोग करने की धमकी देगा**,
- दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ **शपिटाचार से पेश आएंगे और किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचेंगे**,
- यदि दोनों पक्षों के सीमा करमी एलएसी के संरेखण पर मतभेदों के कारण आमने-सामने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वे आत्म-संयम का प्रयोग करेंगे और स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
- पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पक्ष का **कोई भी सैन्य विमान LAC के पार उड़ान नहीं भरेगा।**
- एलएसी से दो किलोमीटर के भीतर कोई भी पक्षगोली नहीं चलाएगा, बायोडिगिरेडेशन का कारण नहीं बनेगा, खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं करेगा, वसिफोट ऑपरेशन नहीं करेगा या बंदूकों या वसिफोटकों के साथ शकिार नहीं करेगा।

घटना के बाद की प्रतिक्रिया:

- भारतीय पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्त जितार्ई है।
- अभी हाल ही में भारत और चीन ने विशेष सैन्य वार्ता के दौरान **दो वायु सेनाओं के बीच "सीधे संपर्क के प्रस्ताव" पर चर्चा की है।**
- सीधा संपर्क तंत्र **एक अलग हॉटलाइन या दोनों सेनाओं के बीच मौजूदा हॉटलाइन का उपयोग करके हो सकता है।**
 - **भारतीय और चीनी सेनाओं के पास उनके ग्राउंड कमांडरों के बीच, वर्तमान में छह हॉटलाइन हैं –** पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सक्किम में दो-दो।
 - छठा अगस्त, 2021 में उत्तरी सक्किम में कोंगरा ला और **तबिबती स्वायत्त क्षेत्र** में खंबा दज़ोंग के बीच स्थापित किया गया था।

वायु अंतरिक्ष और संबंधित कानून:

- **परचिय:**
 - अंतरराष्ट्रीय कानून में वायु क्षेत्र, **एक विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर का स्थान है**, जिसे क्षेत्र को **नयितरति करने वाली सरकार से संबंधित माना जाता है।**
 - इसमें बाहरी अंतरिक्ष शामिल नहीं है, जिसे वर्ष 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि के तहत मुक्त घोषित किया गया है और राष्ट्रीय वनियोग के अधीन नहीं है।
 - हालाँकि संधि ने उस ऊँचाई को परभाषित नहीं किया **जिस पर बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है और वायु स्थान समाप्त होता है।**
- **वायु संप्रभुता:**
 - यह एक संप्रभु राज्य का अपने **हवाई क्षेत्र के उपयोग को वनियमति करने और अपने स्वयं के विमानन कानून को लागू करने का मौलिक अधिकार है।**
 - राज्य अपने क्षेत्र में **वदिशी विमानों के प्रवेश को नयितरति करता है** और इस क्षेत्र में सभी व्यक्तरिाज्य के कानूनों के अधीन आयेंगे।
 - हवाई अंतरिक्ष संप्रभुता का सिद्धांत **पेरसि कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ एरयिल नेवगिशन (1919)** और बाद में अन्य बहुपक्षीय संधियों द्वारा स्थापित किया गया है।
 - **शकिागो कन्वेंशन, 1944** के तहत अनुबंध करने वाले राज्य एवं अन्य अनुबंधित राज्यों में पंजीकृत और वाणजियकि गैर-अनुसूचित उड़ानों में लगे विमानों को पूर्व राजनयकि अनुमति के बिना अपने क्षेत्र में उड़ान भरने के साथ-साथ यात्रियों, कार्गो और मेल को लेने और छोड़ने की अनुमति देने के लिये सहमत हैं।
 - यह प्रावधान व्यवहार में मृत पत्र बन गया है।
- **नषिदिध वायु क्षेत्र:**
 - यह ऐसे हवाई क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं के कारण विमान की उड़ान की अनुमति नहीं है। यह कई प्रकार के विशेष उपयोग वाले हवाई क्षेत्र पदनामों में से एक है और इसे वैमानिकी चार्ट पर "पी" अक्षर के साथ अनुक्रमक संख्या द्वारा दर्शाया गया है।
- **प्रतबिंधित वायु क्षेत्र:**

- नषिदिध वायु कषेत्र से भनिन इस स्थान में आमतौर पर सभी वमिनॉ के लयि प्रवेश वर्जति है और वायु यातायात नरियंत्रण (ATC) या वायु कषेत्र के नरियंत्रण नकिय से मंजूरी के अधीन नहीं है ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. "संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहा है, जो कतित्कालीन सोवयित संघ की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है ।" समझाइये (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधशेष का उपयोग एशिया में संभावति सैन्य शक्ति की स्थिति विकिसति करने के लयि उपकरण के रूप में कर रहा है" । इस कथन के आलोक में भारत पर उसके पड़ोसी देश के रूप में इसके प्रभाव की चर्चा कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2017)

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/airspace-violations-near-lac>

